उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1
संख्या-22/2017/1093/84-1-17-08बामा/2015
लखनऊः दिनॉक: 24 अगस्त, 2017

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत उ0प्र0, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में वर्ष 1988 से पूर्व सजित पदों पर कार्यरत कामिकों के वेतन भत्तों हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 63,69,000/- के सापेक्ष शासनादेश संख्या-10/2017/930/84-1-2017-08बामा/2015, दिनांक 07.04.2017 के द्वारा माह अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 के व्यय हेतु स्वीकृत की गयी कुल धनराशि रू0 26,54,000/- (रूपये छब्बीस लाख चौवन हजार मात्र) के अनुक्रम में माह सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक (शेष सात माहों) के लिये व्यय हेतु उक्त मद में अवशेष धनराशि रू0 37,15,000/- (रूपये सैंतीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के निर्वतन पर शासनादेश संख्या-16/2017/1040/84-1-17-08बामा/2015, दिनांक 19.08.2017 द्वारा रखी गई है।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-9 में टंकण त्रुटिवश यह उल्लिखित हो गया है कि "उक्त अनुदान से सम्बन्धित बिल प्रत्येक माह के वास्तविक व्यय विवरण के आधार पर खाद्य एवं रसद सचिव शाखा उ0प्र0 शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।" जिसे निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

"उक्त अनुदान से सम्बन्धित बिल प्रत्येक माह के वास्तविक व्यय विवरण के आधार पर वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।"

3- शासनादेश दिनंक 19.08.2017 की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

वेद प्रकाश शर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या-22/2017/1093(1)/84-1-17-08बामा/2015 तद् दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- आयुक्त, खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
5- अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम लि0।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्टेट, लखनऊ।
8- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0), लखनऊ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
10- उपभोक्ता संरक्षण् एवं बाट माप अनुभाग-3 ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in